महत्वपूर्ण

संख्या-96/2026/6 एनजीटी /26-27-सिं0-4/2026-CN-1804386

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0, शासन।

3.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 02 फरवरी, 2026**

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-201/2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन में सिंधली/खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-201/ 2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 एवं मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 19.01.2026 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमाकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-201/ 2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 01-08-2025 को पारित आदेश के प्रस्तर-4 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

> ''4. In the above circumstances, we direct the District Magistrate Saharanpur and also District Magistrate Shamli to file a fresh affidavit within six weeks clearly indicating all the minor and major drains which are out falling in the river Khakhori/Sindhli in their respective Districts, the timebound plan to prevent the flowing of sewage and domestic waste in the river, the **timebound action for the demarcation of flood plains of the river** in their District, the action which has been taken for removal of the

encroachment and timebound proposed action for removing the remaining encroachments from the floodplain, the action plan to ensure continuous flow of the river in their District and the efforts which have made by them for restoration of the of the river strictly in compliance of the Ganga order of 2016. Let the fresh affidavit with above particulars be filed."

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः-

क्रमांक	जनपद	**Latitude & Longitude**
1.	सहारनपुर एवं शामली	Table 1

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या-201/ 2024 श्री अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन में सिंधली/खोखरी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद सहारनपुर एवं शामली में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी., मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।

9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला, नई दिल्ली।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।